

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 09/10/2019

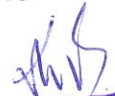
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.3025 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand** for **Construction of Bakriya bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY in Chamoli** district falls within jurisdiction of village **Bedi talli, Chhimta (Tok-Doltu) and Chorda in Gairsain Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.3025 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वरा,

Signature

Name: Swati S. Bhadoria (IAS)
जिला अधिकारी
चमोली

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Smt. Swati S. Bhadoria (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 09/10/2019 at 12.00 PM at Chamoli in which the application claiming rights in Kheti, **Bedi Tali, Chhimta (Tok-Doltu) and Chorda village in Gairsain Tehsil**, area measuring **3.3025 hectares** for the **Construction of Bakriya Bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were *discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.*

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।


जिला अधिकारी
चमोली
District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गैरसैण.

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु, वन पंचायत भूमि 3.010 हे0 मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि 0.2925 हे0 अर्थात कुल 3.3025 हे0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- गैरसैण) की दिनांक 12/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री वैभव गुप्ता	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री प्रदीप कुमार गौड़	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री जगत सिंह	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	श्री श्री चौरा		सदस्य
5	श्री श्री चौरा	स.स.क.क.	सदस्य
6	श्री चेत सिंह	श्री ००० ००	सदस्य
7	श्रीमती प्रेमवती देवी	श्री ००० ००	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.3025 हे0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, प्रदीप कुमार गौड़, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक.....12/07/19 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री वैभव गुप्ता	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
2	श्री प्रवीण कुमार गौड़	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी
3	श्री जगत सिंह	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य / सचिव धनपुर वन क्षेत्र जौगढ़
4	श्री		सदस्य खण्ड विकास अधिकारी
5	श्री शशी चोधरी	स.स.क.क.	स.स.क.क. श्री १००० मि.नकावा
6	श्री चेत सिंह	ओ०प० सफ़्त	ओ०प० सफ़्त श्री १००० मि.नकावा
7	श्रीमती शिवकपूर देवी	ओ०प० सफ़्त	रामेश्वरी देवी

श्रीमती शिवकपूर देवी

ओ०प० सफ़्त

रामेश्वरी देवी

(2)

बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय गैरसैण अधिकार समिति
तहसील-गैरसैण-चमोली
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय गैरसैण अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण-चमोली
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - छिमटा (तोक डोल्टू)

तहसील - गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - चमोली के अन्तर्गत - बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (वन पंचायत भूमि 3.010 हे० मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि 0.2925 हे० अर्थात् कुल 3.3025 हे०) वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत छिमटा (तोक डोल्टू) द्वारा दिनांक 12/07/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम छिमटा (तोक डोल्टू) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - छिमटा
वि.ख. - गैरसैण
जिला - चमोली उत्तराखण्ड

ह०/-



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत छिमटा (तोन-डोल्द्र)

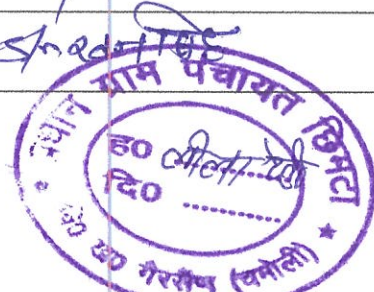
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमान सिंह 5/0 भक्त सिंह	जय सिंह
2	रमण सिंह 5/0 खन्तर सिंह	रमण सिंह
3	शेर सिंह 5/0 चौत सिंह	
4	पूर्ण सिंह 5/0 चौत सिंह	पूर्ण सिंह
5	गोपाल सिंह 5/0 खन्तर सिंह	गोपाल सिंह
6	हरमान सिंह 5/0 चौत सिंह	हरमान सिंह
7	सुरेन्द्र सिंह 5/0 जाधव सिंह	सुरेन्द्र सिंह
8	बापू सिंह 5/0 कचन सिंह	बापू सिंह
9	जगदीश सिंह 5/0 गोपाल सिंह	जगदीश सिंह
10	कचन सिंह 5/0 चन्द सिंह	कचन सिंह
11	जगन सिंह 5/0 जगज सिंह	J. Singh
12	मदन सिंह 5/0 वल्लुवा सिंह	मदन सिंह
13	राज सिंह 5/0 गुर सिंह	राज सिंह
14	जगत सिंह 5/0 जगन सिंह	Jagat Singh
15	वल्लभ सिंह 5/0 केश सिंह	वल्लभ सिंह
16	कचन सिंह 5/0 कर्तिक सिंह	कचन सिंह
17	सुरेन्द्र सिंह 5/0 कुंवर सिंह	सुरेन्द्र सिंह
18	सिमा सिंह 5/0 मान सिंह	Prem Singh
19	गान सिंह 5/0 चौत सिंह	

ग्राम सभा — छिमटा



20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

20	नरनसिंह ६/० गोविंदासिंह	गन्धर्व सिंह
21	भुरगसिंह ६/० रमेशासिंह	भुरगसिंह
22	दर्शनसिंह ६/० रणजीत सिंह	दर्शन सिंह
23	रघुवीर सिंह/रणजीत सिंह	रघुवीर सिंह
24	अमर सिंह ६/० सुधासा सिंह	अमर
25	जगनसिंह ६/० गोविंद सिंह	जगन
26	तिलोत्तम सिंह ६/० रतनसिंह	तिलोत्तम
27	चर्म सिंह ६/० जीत सिंह	चर्म
28	लक्ष्मी सिंह ६/० जगनसिंह	लक्ष्मी सिंह
29	तिलोत्तम सिंह ६/० सुधासा सिंह	तिलोत्तम
30	हरीश सिंह ६/० अमर सिंह	हरीश सिंह
31	गवर् सिंह ६/० भठंडा सिंह	गवर्मा
32	केश सिंह ६/० लक्ष्मी सिंह	केश
33	झोरी देवी ६/० सुकुमार सिंह	झोरी देवी
34	बन सिंह ६/० जगनसिंह	बन सिंह
35	गिरिश सिंह ६/० बने सिंह	गोरोना
36	राज सिंह ६/० लक्ष्मी सिंह	रामा सिंह
37	अरत सिंह ६/० वचन सिंह	अरत सिंह
38	गोपाल सिंह ६/० जीत सिंह	गोपाल सिंह
39	श्याम सिंह ६/० अमर सिंह	श्याम सिंह
40	कुचन सिंह ६/० चंद सिंह	कुचन सिंह
41	सोहिआ सिंह ६/० जीत सिंह	सोहिआ सिंह
42	राम सिंह ६/० रतन सिंह	



होशीयारपुर
होशीयारपुर
संयोजक
ग्राम पंचायत
होशीयारपुर (बमोली)

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0
फेज-XVI के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का
निर्माण।

आज दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा छिमटा (तेक-डोल्ड) की आम बैठक आहूत
की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में
ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान
करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं है।



जयदेव

सरपंच

वग बंवावडा

छिमटा गैरसीन (चमोली)

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, प्रखण्ड कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

केबीच

आज वर्ष 2019 के 7 महीने की 12 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1—यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2—यह सहमति हो गई है कि वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु उपयोग में लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के नाम किया जायेगा।

3—यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

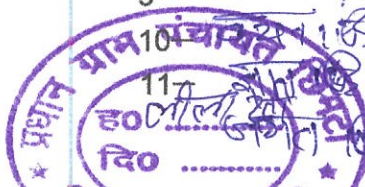
इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर	नाम भूमिधर	हस्ताक्षर
-------------------------------------	------------	-----------

नाम—**अध्यापक अभियन्ता**
 पदनाम—**ग्रामीण निर्माण विभाग**
 पी0एम0जी0एस0वाई0
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 प्रखण्ड—कर्णप्रयाग

1—	जान सिंह 3/0 मकड़ा सिंह	जान सिंह
2—	खल्लोप सिंह खन्तड़ा सिंह	खल्लोप सिंह
3—	गोपाल सिंह रणजीत सिंह	गोपाल सिंह
4—	बादर सिंह 5/0 कचन सिंह	बादर सिंह
5—	सुरेश सिंह 3/0 जगजीत सिंह	सुरेश सिंह
7—	मदन सिंह 5/0 बगुवा सिंह	मदन सिंह
8—	कलबन्त सिंह 5/0 केशव सिंह	कलबन्त सिंह
9—	11/0 कलबन्त सिंह 5/0 कलबन्त सिंह	कलबन्त सिंह
	11/0 कलबन्त सिंह 5/0 कलबन्त सिंह	कलबन्त सिंह
	11/0 कलबन्त सिंह 5/0 कलबन्त सिंह	कलबन्त सिंह

साक्षी



वन पंचायत सरपंच, ग्राम हिमटा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनकिया बंड से हिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ग्राम हिमटा की है 0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 12/07/19 को वन पंचायत समिति ग्राम हिमटा के सदस्यों द्वारा आहूत बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वन पंचायत समिति, ग्राम हिमटा को प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली ग्राम हिमटा की वन पंचायत भूमि, ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

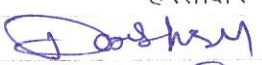
दिनांक— 12/07/19
संलग्न—वन पंचायत समिति, द्वारा
प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद
सरपंच
वन पंचायत
हिमटा, गैटसीग (बमोली)
सरपंच वन पंचायत

जनपद बमोली।

वन पंचायत समिति, ग्राम हिमटा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव व
अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक- 12/07/19 के वन पंचायत समिति, ग्राम हिमटा की बैठक आहूत की गयी, बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ब्यादेवा बेंज से हिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 0.70 हे० वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन पंचायत समिति के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०स०	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	दर्शन सिंह	
2	शवर सिंह	शवर सिंह
3	राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
4	राम सिंह	राम सिंह
5	बचन सिंह	बचन सिंह
6	सलीप सिंह	सलीप सिंह
7	जमन सिंह	जमन सिंह
8	सोनिया सिंह	सोनिया सिंह
9	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
10	जगत सिंह	जगत सिंह

सरपंच
वन पंचायत
हिमटा, गैरसैण (चमोली)
जनपद चमोली

वन पंचायत समिति, ग्राम डोल्हू के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव व
अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक-12/7/2019 के वन पंचायत समिति, ग्राम डोल्हू की बैठक आहूत की गयी, बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नवरीया से दे डोल्हू मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 0.8125 डोल्हू वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन पंचायत समिति के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र0स0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	पवन सिंह	पवन सिंह
2	बलराम सिंह	बलराम सिंह
3	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
4	श्याम सिंह	श्याम सिंह
5	गोता लाल	गोता लाल
6	गणेशी देवी	गणेशी देवी
7	सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
8	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
9	राशोदा देवी	राशोदा देवी
10	कामेश्वरी देवी	कामेश्वरी देवी

बलराम सिंह
सरपंच वन पंचायत
डोल्हू (चमोली)
जनपद चमोली

वन पंचायत सरपंच, ग्राम डोल्ट द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वन पंचायत डोल्ट से हिमताल सिंग मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाली वन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ग्राम डोल्ट की है0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 12/07/19 को वन पंचायत समिति ग्राम डोल्ट के सदस्यों द्वारा आहूत बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वन पंचायत समिति, ग्राम डोल्ट को प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाली ग्राम डोल्ट की वन पंचायत भूमि, ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक- 12/07/19
संलग्न-वन पंचायत समिति,
प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

द्वारा

बलवंत सिंह
सरपंच
वन पंचायत डोल्ट
जिला (नगीला)
सरपंच वन पंचायत

जनपद चमोली।

नाम कि माने	पिता का नाम	हस्ताक्षर
मकड सिंह	खन्ताण सिंह	मकड सिंह
पूरन सिंह	बखतावर सिंह	शरद सिंह
मान सिंह	रतन सिंह	मान सिंह
मखल सिंह	चिमाण सिंह	मखल सिंह
श्याम सिंह	बखतावर सिंह	श्याम सिंह
कुंवर सिंह	असन सिंह	कुंवर सिंह
कुताब सिंह	दिवान सिंह	मोहम्मद सिंह
श्रीवण सिंह	पदम सिंह	श्रीवण सिंह
पवन सिंह	पदम सिंह	पवन सिंह
जमन सिंह	बुद्ध सिंह	जमन सिंह
बलवन्त सिंह	बुद्ध सिंह	बलवन्त सिंह
लक्ष्मण सिंह	बुद्ध सिंह	लक्ष्मण सिंह
नारायण सिंह	दिवान सिंह	नारायण
शिव सिंह		

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — चोरडा
तहसील—गैरसैण, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद — चमोली के अन्तर्गत — बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (वन पंचायत भूमि 3.010 हे0 मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि 0.2925 हे0 अर्थात् कुल 3.3025 हे0) वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चोरडा द्वारा दिनांक.....12/07/19.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चोरडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत — चोरडा
वि.ख. — गैरसैण
जिला — चमोली उत्तराखण्ड

ह0/—



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चोरडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	जगत सिंह	जगत सिंह
2.	कपूर सिंह	कातके सिंह
3.	बिन्दी राम	बिन्दी राम
4.	फते सिंह	फते सिंह
5.	फते सिंह	फते सिंह
6.	सुणखुभा सिंह	सुणखुभा सिंह
7.	गजे सिंह	गजे सिंह
8.	नारायण सिंह	नारायण सिंह
9.	मान सिंह	मान सिंह
10.	देवेश्वरी देवी	देवेश्वरी देवी
11.	विजुली देवी	विजुली देवी
12.	लखुली देवी	लखुली देवी
13.	वाली राम	वाली राम
14.	कलावली देवी	कलावली देवी
15.	रतन सिंह	रतन सिंह
16.	पूरण सिंह	पूरण सिंह
17.	मकड सिंह	मकड सिंह
18.	गैण सिंह	गैण सिंह
19.	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह



“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, प्रखण्ड कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

केबीच

आज वर्ष 2019 के 07 महीने की 12 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1—यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2—यह सहमति हो गई है कि वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु उपयोग में लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के नाम किया जायेगा।

3—यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम भूमिधर

हस्ताक्षर

नाम:—प्रमोद गंगाजी
पदनाम:—अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
प्रखण्ड—कर्णप्रयाग
पी0एम0जी0एस0वाई0

1—	जगत सिंह	- जगत सिंह
2—	मान सिंह	- मान सिंह
3—	गजे सिंह	- गजे सिंह
4—	विजुली देवी	- विजुली देवी
5—	रतन सिंह	- रतन सिंह
7—	मकड सिंह	- मकड सिंह
8—	गंगा सिंह	- गंगा सिंह
9—	गोखिंद सिंह	- गोखिंद सिंह
10—	जगदामन सिंह	- जगदामन सिंह
11—	बिन्दी राम	- बिन्दी राम

साक्षी

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0
फेज-XVI के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का
निर्माण।

आज दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा चोरड़ा की आम बैठक आहूत की
गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम
वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान
करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं है।



वन पंचायत सरपंच, ग्राम-चौरडा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौरडा वन से हिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ग्राम-चौरडा की है 0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 12/07/19 को वन पंचायत समिति ग्राम-चौरडा के सदस्यों द्वारा आहूत बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वन पंचायत समिति, ग्राम-चौरडा को प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली ग्राम-चौरडा की वन पंचायत भूमि, ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक- 12/07/19

संलग्न-वन पंचायत समिति, द्वारा

प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

चमर सिंह
सरपंच
वन पंचायत
चौरडा (चमरगोली)
जनपद चमोली।

वन पंचायत समिति, ग्राम चोडा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव व
अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक 12/07/19 के वन पंचायत समिति, ग्राम चोडा की
बैठक आहूत की गयी, बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चोडा वन से हिमदा सिंह मोटर मार्ग के निर्माण में
कुल 0.56 हे. वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन पंचायत समिति के सदस्यों को कोई
आपत्ति नहीं है।

क्र०स०	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	कार्तिक सिंह	कार्तिक सिंह
2	नारायण सिंह	नारायण सिंह
3	दशरथ सिंह	दशरथ सिंह
4	वैशाख	वैशाख
5		
6		
7		
8		
9		
10		

अमर सिंह
सरपंच वन पंचायत
चोडा (बमोली)
जनपद बमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बेडी तल्ली
तहसील - गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - चमोली के अन्तर्गत - बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (वन पंचायत भूमि 3.010 हे0 मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि 0.2925 हे0 अर्थात् कुल 3.3025 हे0) वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

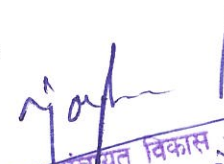
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बेडी तल्ली द्वारा दिनांक 12/7/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बेडी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - बेडी तल्ली
वि.ख. जिला चमोली उत्तराखण्ड

ह0/-



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बेडी तल्ली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सुरेश सिंह डा. चेत सिंह	श्री सुरेश सिंह
2	वन्दर सिंह डा. लोक सिंह	वन्दर सिंह
3	सुरेश सिंह डा. विनोद सिंह	सुरेश सिंह
4	श्री वन्दर सिंह डा. चेत सिंह	वन्दर सिंह
5	शम सिंह डा. वेदा सिंह	शम सिंह
6	शुक्ल सिंह डा. धन सिंह	शुक्ल सिंह
7	नरेश सिंह डा. हरक सिंह	नरेश सिंह
8	विश्व सिंह डा. वन्दन सिंह	विश्व सिंह
9	शेर सिंह डा. वन्दन सिंह	शेर सिंह
10	श्याम सिंह डा. प्रताप सिंह	श्याम सिंह
11	नन्द सिंह डा. हरक सिंह	नन्द सिंह
12	मंगेश सिंह डा. सतीश सिंह	मंगेश सिंह
13	मान सिंह डा. सतीश सिंह	मान सिंह
14	मल्लिकार्जुन डा. रघुवीर सिंह	मल्लिकार्जुन सिंह
15	मान सिंह डा. प्रताप सिंह	मान सिंह
16	जय सिंह डा. वीरेन्द्र सिंह	जय सिंह
17	जगदीश सिंह डा. चोहरा सिंह	जगदीश सिंह
18	...	...



19	राजेश्वरी देवी का कुवटि	राजेश्वरी देवी
20	सुधी देवी का केसरि	पूरण सिंह
21	संगम द्विष्ट केसरि	रमेश सिंह
22	गोविंद द्विष्ट का हरि	ज्ञानन्दा सिंह
23	आनन्द द्विष्ट का खेर	कुन्दन सिंह
24	कन्दन द्विष्ट का खेर	मनमोहन का
25	मनमोहन द्विष्ट का भाग	सनप सिंह
26	अमर द्विष्ट का - वैन	मनमोहन
27	मान सिंह का देव	हनुमान
28	हनुमान द्विष्ट का धन	सरनो देवी
29	धन द्विष्ट का गोविंद	मकड सिंह
30	मकड द्विष्ट का केसर	अमर सिंह
31	अमर द्विष्ट का - वैन	अमर सिंह
32	अमर द्विष्ट का - वैन	गोपाल सिंह
33	गोपाल द्विष्ट का लखन	गोपाल
34	लखन द्विष्ट का अवतार	सरनो देवी
35	देवेन्द्र द्विष्ट का अवतार	राजेश्वरी देवी
36	रत्न द्विष्ट का पदम	रत्न सिंह
37	पदम द्विष्ट का पदम	मनमोहन
38	रवीन्द्र द्विष्ट का पदम	रवीन्द्र सिंह
39	कचन द्विष्ट का लखन	
40	मुरखन द्विष्ट का लखन	रमेश
41	इन्दर सिंह / S/F / गैला सिंह	इन्दर सिंह
42	इश्वर सिंह / S/F / गुमान सिंह	इश्वर

गोविन्द सिंह

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0
फेज-XVI के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का
निर्माण।

आज दिनांक 12/07/19 को ग्राम सभा बेडी तल्ली की आम बैठक आहूत की
गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम
वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान
करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ती नही है।



च-६२ रिह
वन पंचायत
बेडीतली (चमोली)

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, प्रखण्ड कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

केबीच

आज वर्ष 2019 के 7 महीने की 12 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1—यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2—यह सहमति हो गई है कि वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु उपयोग में लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के नाम किया जायेगा।

3—यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

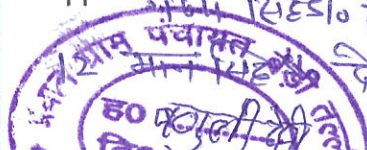
नाम भूमिधर

हस्ताक्षर

नाम:— प्रमोद बांग्राजी
पदनाम:— अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड—कर्णप्रयाग

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1— मनवरी सिंह S/O भाग सिंह | Mankhi Singh |
| 2— सुरेंद्र सिंह S/O चेत सिंह | Sunehra |
| 3— धर्म सिंह S/O गवर सिंह | |
| 4— स्वर सिंह S/O चेत सिंह | स्वर सिंह |
| 5— मान सिंह S/O प्रताप सिंह | मान सिंह |
| 7— जयवीर सिंह S/O दीप्ति सिंह | जयवीर सिंह |
| 8— मदन सिंह S/O पद्म सिंह | मदन सिंह |
| 9— जीविन्द सिंह S/O हर सिंह | जीविन्द सिंह |
| 10— मकड सिंह S/O केसर सिंह | |
| 11— मैन सिंह S/O लखण सिंह | मैन सिंह |

साक्षी



वन पंचायत सरपंच, ग्राम बेडी तल्ली द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अवधीया बस रोड दिमदा लिंग मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ग्राम बेडी तल्ली की है 0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 12/07/19 को वन पंचायत समिति ग्राम बेडी तल्ली के सदस्यों द्वारा आहूत बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वन पंचायत समिति, ग्राम बेडी तल्ली को प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली ग्राम बेडी तल्ली की वन पंचायत भूमि, ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक- 12/07/19
संलग्न-वन पंचायत समिति,
प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

द्वारा

च-दर सिंह
वन पंचायत
बेडीतली (बमोली)
सरपंच वन पंचायत
बेडी तल्ली
जनपद बमोली।

वन पंचायत समिति, ग्राम बेडी तल्ली के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव व
अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक- 12/07/19 के वन पंचायत समिति, ग्राम बेडी तल्ली की बैठक आहूत की गयी, बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बकिया बज-से हिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 1.23 हे० वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन पंचायत समिति के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०स०	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	<u>किन्दन सिंह</u>	<u>किन्दन सिंह</u>
2	<u>समर सिंह</u>	<u>समर सिंह</u>
3	<u>बेसाकी देवी</u>	<u>बेसाकी देवी</u>
4	<u>जोगी देवी</u>	<u>जोगी देवी</u>
5	<u>मीना देवी</u>	<u>मीना देवी</u>
6	<u>रविम सिंह</u>	<u>रविम सिंह</u>
7	<u>जगदीश बल्ल</u>	<u>जगदीश बल्ल</u>
8		
9		
10		

चन्द्र सिंह
वन पंचायत
बेडीतली (चमोली)
सरपंच वनपंचायत
बेडी तल्ली
जनपद चमोली